भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1935
जिसका उत्तर बुधवार, 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

अधिकरणों की कार्यप्रणाली

1935. श्री डॉ शशि थरूर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अधिकरणों के सांविधिक ढांचे के आकलन पर 272वीं रिपोर्ट में अधिकरणों की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान के अंतर्गत एकल केन्द्रीय एजेंसी के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश के अनुसार विशेष कदम लिए है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्या य्रसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : जी, हां ।

(ख) से (घ) : इस मामले से सम्बन्धित विभिन्न पणधारियों अर्थात विभिन्न अधिकरणों को प्रशासित करने वाले मंत्रालयों /विभागों से विधि आयोग द्वारा उसकी 272वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है । कुछ मंत्रालयों / विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं ।

****